तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रेस्पोडेंट संख्या 5/1 का नाम डिलीट किये जाने बाबत स्वीकार किये जाते है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 5 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या 5/1 के वारिसान् पूर्व से रेकर्ड पर होने से उसका नाम डिलीट किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार वकील अपीलांट संशोधित अपील शीर्षक पेश करे। रेस्पोडेंट संख्या एक व पांच के वारिसान् के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जाने के बावजूद अदम तामील प्राप्त हो रहे है। प्रकरण अत्यंत पुराना होने से उक्त रेस्पोडेंट्स की तामील अपीलांट के खर्चे पर दैनिक समाचार पत्र के जरिये करवाया जाना उचित है। अतः वकील अपीलांट को निर्देश दिये जाते है कि वह रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/2, 5/2 से 5/4 के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु पेश करे। सम्मन पेश होने पर बाद जांच जारी कर वकील अपीलांट को दस्ती जारी हो। वकील अपीलांट आगामी तारीख पेशी से पूर्व दैनिक समाचार पत्र की प्रति अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते तामील इंतजार दिनांक 11.12.2023 को पेश हो। [signature] 09.11.23
11.12.23	वकील अपीलांट/रेस्पोडेंट/उभय पक्ष उपस्थित । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13.02.24 को पेश हो । [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
13.2.24	पत्रावली पेश हुई। बतलाश उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा गत आदेश की पालना नहीं की जा रही है। लिहाजा अपील अपीलांट अदम पालना में खारिज की जाती है। L.C. की पत्रा. मय निर्णय प्रति लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नंबर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 13.2.24 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
8/2/2024	पत्रावली [illegible]